न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

अपील संख्या – 2024 / 101

दायर दिनांक 07.02.2022

इन्द्राज पुत्र मालाराम उर्फ मालूराम पुत्र खमाणाराम उम्र 67 वर्ष जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू —अपीलाण्ट—

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
2. ख्यालीराम पुत्र लिखमाराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड न. 07 मंत्रियों के कुए के पास तारानगर जिला चूरू
3. गौरीशंकर पुत्र नागरमल जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
4. तुलसीराम दतक पुत्र बेगाराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू हाल निवासी मंत्रियों के कुए के पास तारानगर जिला चूरू
5. नानू देवी पत्नी बेगाराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड न. 07 मंत्रियों के कुए के पास तारानगर जिला चूरू
6. वीरबलराम पुत्र नन्दराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू हाल निवासी ग्राम रामदेवरा तह. व जिला चूरू
7. भंवरलाल दत्तक पुत्र देवूराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
8. भोमराम पुत्र लिखमाराम जाति प्रजापत निवासी वार्ड न. 07 तारानगर जिला चूरू
9. लीलाधर पुत्र नागरमल जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
10. संतोष पुत्री नागरमल जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
11. सीताराम पुत्र नंदराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
12. भादरमल पुत्र डूंगरराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
13. ओमप्रकाश पुत्र डूंगरराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
14. गुडडी पुत्री डूंगरराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
15. संतरो पुत्री डूंगरराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
16. केसर देवी पत्नी डूंगरराम जाति प्रजापत निवासी गोगटिया चारनान तहसील तारानगर जिला चूरू
17. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तारानगर जिला चूरू

—रेस्पोडेण्टा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. श्री शिव गौतम सोलंकी एड. वास्ते अपीलाण्ट।
2. श्री शिवसिंह राठौड़ एड. वास्ते रेस्पोडेण्ट संख्या 01
3. श्री ऋषिराज सिंह एड. वास्ते रेस्पोडेण्ट संख्या 7, 13, 16, 11, 12
4. श्री अजय खटोड़ एड. वास्ते रेस्पोडण्ट संख्या 8, 2, 5, व 4
5. रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 6, 9, 10, 14 व 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
6. रेस्पोडेण्ट संख्या 17 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अपील संख्या 2024/101
इन्द्राज बनाम ओमप्रकाश आदि

निर्णय

दिनांक 27.05.2025

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर सुनवाई की गई। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में नामांन्तरण शुद्धि पत्र संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 रोही मौजा गोगटिया बाघावतान व खसरा संख्या 238 तादादी 3.5406 हैक्टेयर, खसरा संख्या 239 तादादी 1.8082 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240 तादादी 1.8968 हैक्टेयर खसरा संख्या 241 तादादी 6.6386 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल तादादी 13.8842 हैक्टेयर रोही मोजा गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.07.1973 को अपने सह खातेदार पोकरराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया चानरान से विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई जिससे प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि जो कि अपने पिता मालूराम उर्फ मालाराम से 1/4 हिस्सा भूमि हिस्से में आई हुई दोनों भूमि संयुक्त होने के बाद प्रार्थी के 3/8 हिस्सा कृषि भूमि बन गई। रेस्पोडेण्ट ने एक शुद्धि पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2021 को हल्का पटवारी करणपुरा द्वारा रिपोर्ट बनाई आदेशानुसार प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को राजस्व रिकॉर्ड में मिलान कर जांच की गई। ग्राम गोगटिया बाघावतान के खाता संख्या 70 खसरा संख्या 238, 239, 240 व 241 कुल तादादी 13.8842 हैक्टेयर में ई.न. 297 विरासतन दस्तबरदारी दर्ज करते समय पटवारी द्वारा सहवन से हिस्से का अंकन गलत दर्ज हो गया जिसके कारण इन्द्राज पुत्र मालाराम, गोरीशंकर, लीलाधर, संतोष पुत्र पुत्री नागरमल, डूंगरराम पुत्र गिरधारीराम, बीरबलराम सीताराम पुत्र नन्दराम भंवरलाल पुत्र देबुराम के हक हिस्सा गलत हो गए। उक्त गलत अंकन आज दिनांक तक चला आ रहा है। इन्द्राज पुत्र मालाराम 3/8 के बजाय 5/16 हिस्सा, गौरीशंकर लीलाधर संतोष पुत्र पुत्री नागरमल 1/40 हिस्सा के बजाय 1/48 हिस्सा, डूंगरराम पुत्र गिरधारीराम 1/40 हिस्सा के बजाय 1/16 हिस्सा, बीरबलराम सीताराम पुत्रान नन्दराम 1/20 हिस्सा के बजाय 1/24 हिस्सा एवं भवंरलाल पुत्र देबुराम 1/40 हिस्सा के बजाय 1/16 हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित है जिसमें हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा पुराने रिकॉर्ड नहीं देखे गये और ना ही अपीलाण्ट को सुना गया और एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त संपूर्ण कृषि भूमि अपीलाण्ट को 1/4 हिस्सा कर दिया गया जोकि गलत है। अपीलाण्ट जब केसीसी बनवाने के लिए अपनी जमाबन्दी लेने के लिए हल्का पटवारी से मिला तो उसे पता चला कि उक्त भूमि का एक शुद्धि पत्र नामांतरण दर्ज कर उक्त कृषि भूमि हिस्सा 3/8 से 5/16 कर दिया गया है। रेस्पोडेन्टान ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जो शुद्धि पत्र नामान्तरण तस्दीक किया है जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना दस्तावेजात देखे ही उक्त इन्तकाल दर्ज किया है जो विधिविरूद्ध है। अतः शुद्धिपत्र इन्तकाल तहसीलदार तारानगर के द्वारा नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 निरस्त व अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही ग्राम गोगटिया बाघावतान में खसरा संख्या 238, 239, 240 व 241 कुल किता 4 कुल तादादी 13.8842 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.07.1973 को अपने सह खातेदार पोकरराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार से विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई है जिससे अपीलाण्ट की पैतृक भूमि जो कि अपने पिता मालूराम उर्फ मालाराम से 1/4 हिस्सा भूमि हिस्से में आई हुई दोनों भूमि संयुक्त होने के बाद अपीलाण्ट के 3/8 हिस्सा कृषि भूमि बन गई। रेस्पोडेन्टान द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत शुद्धि पत्र दिनांक 12.08.2021 के आधार पर अपीलाण्ट की भूमि को 3/8 की बजाय 5/16 कर दिया जो कि गलत है निरस्त योग्य है। बहस के अन्त में अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर के आदेश निर्णय तारीख पेशी शुद्धि पत्र नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को नकारते हुए तथा लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि गिरधारीराम के 1/4 हिस्सा खातेदारी वा कब्जा काश्त में थी उसके चार पुत्र थे जो नंदराम, डूंगरराम, देबूराम तथा पोकरराम। गिरधारीराम के देहांत के पश्चात् उक्त भूमि उसके वारिसान चारों पुत्रों के प्रत्येक के 1/16, 1/16 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हो गई जिसमें से पोकरराम ने अपने 1/16 हिस्से की भूमि जरिये विक्रय पत्र अपीलाण्ट इन्द्राज को विक्रय कर दी तथा इसी के मुताबिक इंतकाल भी दर्ज किया गया था जिससे अपीलाण्ट के 1/16 हिस्सा भूमि उपरोक्त कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा अपीलाण्ट के पिता मालूराम पुत्र खमाणाराम के 1/4 हिस्सा भूमि अंकित है। जो दोनों भूमि संयुक्त रूप से 5/16 हिस्सा होता है जिसका अपीलाण्ट हकदार है तथा उतना ही हिस्सा पांति का खातेदार है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 297 दर्ज करते समय सहवन से अपीलांट का हिस्सा अधिक अंकित कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 7 का 1/16 हिस्सा अंकित था जो सहवन से 1/40 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत था। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 भंवरलाल ने तहसीलदार के समक्ष उक्त गलत अंकन का ज्ञान होने पर एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी तथा गिरदावर से जांच करवाकर गलत चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कर दिया जो कि विधिसम्मत है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार तारानगर ने अपने द्वारा पारित विरासतन इंतकाल संख्या 297 को खुद ही शुद्धिपत्र संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 द्वारा पक्षकारान को बिना सुने ही हिस्सा कम ज्यादा कर दिया जिसका तहसीलदार तारानगर को कोई अधिकार नहीं था जिसके तथ्यों का खण्डन करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 7 के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिनांक 12.08.2021 को रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी तथा गिरदावर से जांच करवाने के पश्चात् राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 के अनुसार उक्त

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

शुद्धि की है जो कि विधिसम्मत है। राजपैरोकार ने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांती अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि गिरधारीराम के 1/4 हिस्सा खातेदारी तथा कब्जा काश्त में थी उक्त कृषि भूमि गिरधारीराम के 1/4 हिस्सा खातेदारी वा कब्जा काश्त में थी उसके चार पुत्र थे जो नंदराम, डूंगरराम, देबूराम तथा पोकरराम। गिरधारीराम के देहांत के पश्चात् उक्त भूमि उसके वारिसान चारों पुत्रों के प्रत्येक के 1/16, 1/16 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हो गई जिसमें से पोकरराम ने अपने 1/16 हिस्से की भूमि जरिये विक्रय पत्र अपीलाण्ट इन्द्राज को विक्रय कर दी तथा इसी के मुताबिक इंतकाल भी दर्ज किया गया था जिससे अपीलाण्ट के 1/16 हिस्सा भूमि उपरोक्त कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा अपीलाण्ट के पिता मालूराम पुत्र खमाणाराम के 1/4 हिस्सा भूमि अंकित है। जो दोनों भूमि संयुक्त रूप से 5/16 हिस्सा होता है। विरासतन इंतकाल संख्या 297 रोही ग्राम गोगटिया बाघावतान के अवलोकन से स्पष्ट है कि इंतकाल के कॉलम संख्या 7 तथा 9 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा पक्षकारान का हिस्सा अंकित करते समय अपीलाण्ट का हिस्सा अधिक कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 7 का 1/16 हिस्सा अंकित है जबकि विरासतन इंतकाल में सहवन से 1/40 हिस्सा दर्ज कर दिया इसी प्रकार अन्य पक्षकारान का हिस्सा पांति भी गलत अंकित कर दिया। दिनांक 12.08.2021 को पक्षकार द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया जिस पर हल्का पटवारी तथा गिरदावर से रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 166 (रिकॉर्ड में लेखनी की भूलों की दुरूस्ती के लिए आदेश फर्द बदर लिये जायें) के तहत शुद्धि पत्र संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा पक्षकारान के उक्त गलत चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कर दिया। जिसमें तहसीलदार तारानगर ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

परिणामतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तथा तहसीलदार तारानगर द्वारा पारित शुद्धि पत्र नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से न्यायालय उक्त शुद्धि पत्र नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 14.09.2021 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता 27/05/25
(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू (राज.)